<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 30.09.2025</u>

<u>जनपद पुलिस से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने वाले 01 उपनिरीक्षक व 01 मुख्य आरक्षी हुए सेवानिवृत्त, पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा शॉल व फूल–माला पहनाकर उज्ज्वल भविष्य की दी गई शुभकामनाएं–</u>

आज दिनांक 30.09.2025 को जनपद गोण्डा पुलिस से 01 उ0नि0 व 01 मुख्य आरक्षी अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान पुलिस लाइन स्थित सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को शॉल व फूल–माला पहनाकर, छाता व अन्य धार्मिक पुस्तके भेंट करते हुए विदा किया गया। महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों से सेवानिवृत्त होने पर उनके द्वारा पुलिस विभाग को दिये गये योगदान की सराहना की गयी एवं सेवानिवृत्ति उपरांत भी पुलिस विभाग का यथासंभव सहयोग करने की अपेक्षा की गयी तथा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी।
<u>इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक अजय प्रताप सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।</u>

<u>सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण–</u>
01.उ0नि0ना0पु0 श्री राम जनक
02.मु0आ0 श्री इन्द्र कुमार झा

<u>मीडिया सेल गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 30.09.2025</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस लाइन परिसर गोण्डा में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर किया गया शुभारंभ–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 30 सितम्बर 2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन परिसर गोण्डा में शासन से स्वीकृत सड़क निर्माण परियोजना का भूमि पूजन कर विधिवत शुभारंभ किया गया। यह कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू0पी0पी0सी0एल0) संस्था द्वारा संपन्न कराया जा रहा है।
इस परियोजना के अंतर्गत पुलिस लाइन परिसर में कुल 2750 मीटर लंबाई की नई सड़क का निर्माण एवं 650 मीटर लंबाई की पुरानी सड़क का मरम्मतीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस महत्वपूर्ण परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹2 करोड़ 98 लाख 78 हजार रुपये है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भूमि पूजन के अवसर पर कहा कि "पुलिस लाइन परिसर पुलिस बल का मुख्यालय है जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में अधिकारी/कर्मचारी अपने–अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु उपस्थित रहते हैं। परिसर में सुगम व सुरक्षित सड़क व्यवस्था से न केवल आवागमन सरल होगा बल्कि विभागीय कार्यों के सुचारु संचालन में भी सहायता मिलेगी। शासन द्वारा स्वीकृत इस सड़क निर्माण कार्य से पुलिस लाइन की भौतिक संरचना और भी सुदृढ़ होगी तथा आने वाले समय में यहां बेहतर वातावरण विकसित होगा।" यह परियोजना पुलिस विभाग की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी और विभागीय कर्मियों को अत्यधिक सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा निर्धारित समयावधि के भीतर इसे पूर्ण कराया जाए।

<u>इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी लाइन श्री अभिषेक दवाच्या, प्रतिसार निरीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 30.09.2025

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा हत्याभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–219/25, धारा 103(1),238 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी हत्याभियुक्ता चंचल उर्फ आंचल पत्नी खुरभुर को सुक्खनपुरवा मोड़ करनैलगंज मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 27.09.2025 को थाना कटराबाजार क्षेत्रान्तर्गत गुलाम पुरवा चौदहा मेटुकहा से करीब 100 मीटर दूर एक महिला का शव झाड़ियों से प्राप्त हुआ था। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटलास्थल पर पहुचकर मौका मुआयना किया गया। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। वादी गंगाराम पुत्र स्व0 सालिक राम नि0 गुलाम पुरवा चौदहा मेटुकहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए नामजद अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर प्र0नि0 कटराबाजार को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज दिनांक 30.09.2025 को पुलिस टीमों द्वारा आरोपी हत्याभियुक्ता चंचल उर्फ आंचल पत्नी खुरभुर को सुक्खनपुरवा मोड़ करनैलगंज मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस पूछताछ में अभियुक्ता चंचल द्वारा बताया गया कि उसका मायका उमरहरा, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी में है। वह अपने पति खुरभुर के साथ प्रेम संबंध में थी, जिसने अपनी पहली शादी को छिपाकर उससे विवाह किया। विवाह के पश्चात पता चला कि उसके पति के चार बच्चे हैं। शुरूआत में संतोषपूर्वक खुरभुर और उसकी शौतन राजकुमारी के साथ रहने का निर्णय लिया। समय के साथ राजकुमारी और उसके बीच विवाद बढ़ने लगा। खुरभुर अधिकतर समय अपनी पहली पत्नी राजकुमारी के साथ रहने लगा, जिससे उसे असंतोष हुआ। गांव में रहने के दौरान राजकुमारी उसके साथ बार–बार अभद्र व्यवहार और मारपीट करती थी। लगातार अपमान और मारपीट के कारण उसने अपनी शौतन राजकुमारी की हत्या की योजना बनाई। दिनांक 26.09.2025 को वह अपने ससुराल पहुंची और शौच का बहाना बनाकर राजकुमारी के साथ खेत गयी। खेत के किनारे मुंजहन और सरपत के पास बैठकर थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने पीछे से राजकुमारी का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को झाड़ी में छिपा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

01. चंचल उर्फ आंचल पत्नी खुरभुर नि0 ग्राम गुलामपुरवा, मौजा चौदहा मेटुकहा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–219/25, धारा 103(1),238 बीएनएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम</u>

01. प्र0नि0 राजेश कुमार सिंह थाना कटराबाजार।
02. वरि0उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार।
03. का0 सुदीप कुशवाहा।
04. का0 सोमेन्द्र सिंह।
05. म0का0 पूजा कुशवाहा।
06. म0का0 प्रियंका यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 30.09.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत क्षेत्र में भ्रमण कर छात्राओं/बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन के प्रति किया गया जागरूक, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए सुरक्षा संबंधी किए गए पंपलेट वितरित–

आज दिनांक 30.09.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत शहर क्षेत्र में भ्रमण कर छात्राओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, नारी सुरक्षा एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर महोदय द्वारा छात्राओं/बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी साथ ही बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनसे बचाव हेतु सभी को सजग रहना आवश्यक है। छात्राओं को मोबाइल, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने संबंधी व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर तत्काल पुलिस व संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया।

महोदय ने उपस्थित बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे–
1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)
112 (आपातकालीन सेवा)
181 (महिला हेल्पलाइन)
1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)
1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)
की जानकारी देकर उन्हें सुरक्षित रहने हेतु सदैव सतर्क एवं जागरूक रहने का संदेश दिया।

महोदय द्वारा छात्राओं को यह भी बताया गया कि पुलिस सदैव महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु तत्पर है। किसी भी प्रकार की असुरक्षा या समस्या होने पर तुरंत निकटतम थाना/चौकी अथवा हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। इस अवसर पर सुरक्षा संबंधी पंपलेट वितरित कर जागरूकता बढ़ाई गई तथा छात्राओं को आत्मरक्षा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य केवल सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और आत्मविश्वासी बनाना भी है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 30.09.2025</u>

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्यॉं के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–226/2025 धारा 126(2),190,191(2),191(3),352,109(1),110,351(3),115(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. दीनानाथ हनुमन्तलाल तिवारी, पुत्र टीकमदत्त तिवारी, 02. चंचल पाण्डेय, पुत्र दद्दन पाण्डेय उर्फ रामबहादुर पाण्डेय रामापुर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी त्रिवेनी प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम सिसई, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 28.09.2025 को उनके खेत में विपक्षी जान चन्द्र, सिपाही लाल, अमरजीत चौहान और जिलेदार चौहान की बकरी चर रही थी। शिकायत करने पर विपक्षीगण ने उनके पिता गंगा प्रसाद को गाली–गलौज, थप्पड़ और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गम्भीर चोट पहुंचायी है तथा जान–माल की धमकी दी। घायल पिता को एंबुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 30.09.2025 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों–01. दीनानाथ हनुमन्तलाल तिवारी, पुत्र टीकमदत्त तिवारी, 02. चंचल पाण्डेय, पुत्र दद्दन पाण्डेय उर्फ रामबहादुर पाण्डेय रामापुर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. दीनानाथ हनुमन्तलाल तिवारी, पुत्र टीकमदत्त तिवारी, नि0 कैथोली मौजा पूरेबदल, थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. चंचल पाण्डेय, पुत्र दद्दन पाण्डेय उर्फ रामबहादुर पाण्डेय, नि0 ग्राम लालापुरवा, मौजा पूरेबदल, थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–226/2025 धारा 126(2),190,191(2),191(3),352,109(1),110,351(3),115(2) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 दुर्गविजय सिंह।
02. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह।
03. हे0का0 सच्चिदानन्द।
04. का0 महेन्द्र पाण्डेय।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 30.09.2025</u>

<u>मिशन शक्ति 5.0 अभियान के दृष्टिगत थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति एवं एण्टी रोमियो टीम की संयुक्त कार्यवाही में 07 मनचलों को रेड कार्ड जारी किए तथा शोहदों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही–</u>

गोण्डा। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत जनपद गोण्डा में निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 30.09.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर महोदय एवं प्रभारी निरीक्षक थाना धानेपुर के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति एवं एण्टी रोमियो टीम के साथ मिलकर व्यापक कार्यवाही की गई। निरोधात्मक कार्यवाही के अंतर्गत थाना धानेपुर क्षेत्र में 07 मनचले अभियुक्तों को धारा 170/126/135 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। तथा 02 मनचलों को रेड कार्ड जारी कर सख्त चेतावनी दी गई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–</u>
1. फैजान कुरैसी पुत्र इरफान निवासी ग्राम बग्गीरोड थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
2. जावेद अली पुत्र अयनुश अली निवासी ग्राम बग्गीरोड थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
3. विशाल गुप्ता पुत्र मानिक राम गुप्ता निवासी नौवागांव थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
4. मोनू गौतम पुत्र राजकरन निवासी ग्राम गौसाईंपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
5. संजय वर्मा पुत्र रामतेज वर्मा निवासी कड़वलिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
6. संदीप चौहान पुत्र नन्दलाल निवासी कुतुबगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
7.नीरज पुत्र राजकुमार निवासी परसादपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम–</u>
1. व0उ0नि0 गजेन्द्र पाण्डेय
2. उ0नि0 प्रशान्त कुमार पाण्डेय
3. का0 रविन्द्र यादव
4. हे0का0 कुशहर यादव
5. हे0का0 फहीमुद्दीन खाँ
6. का0 सतेन्द्र पाण्डेय
7. म0का0 उर्मिला गौड़
8. म0का0 अंजली देवी
9. म0आ0 भावना सिंह

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रकार की छेड़खानी अथवा सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को असुविधा पहुँचाने वाली हरकतें करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.09.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0 एवं शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा शहर क्षेत्र में भ्रमण कर छात्राओं/बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन के प्रति किया गया जागरूक–

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत एवं आगामी शारदीय नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा व्यापक जनसंपर्क एवं सुरक्षा अभियान चलाया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री मनोज कुमार रावत ने नगर क्षेत्र में व्यापक भ्रमण कर महिलाओं व बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों, छात्राओं, कार्यरत महिलाओं और गृहणियों से उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) ने संवाद के दौरान महिलाओं को भरोसा दिलाया कि जनपदीय पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए तत्पर है। महिलाओं एवं बालिकाओं से आने–जाने के दौरान आने वाली संभावित परेशानियों, सड़क पर छेड़छाड़, अवांछित भीड़भाड़ वाले स्थानों, स्कूल–कॉलेज आने–जाने में होने वाली कठिनाइयों पर सुझाव प्राप्त किए गए साथ ही शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बरों–112–पुलिस आपातकालीन सेवा,1090–वूमेन पावर हेल्पलाइन (महिला उत्पीड़न एवं सुरक्षा संबंधी सहायता), 1076–माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (शिकायत एवं त्वरित निस्तारण हेतु),108–एंबुलेंस सेवा (आपातकालीन चिकित्सा सुविधा),1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन (ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर अपराध की शिकायत), 1098–चाइल्ड हेल्पलाइन (बच्चों की सुरक्षा हेतु),102–स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आपात सेवा) की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके। साथ ही उपस्थित सभी महिलाओं/बालिकाओं पम्पलेट वितरित कर इन नंबरों का उपयोग संकोच रहित एवं तत्काल सहायता के लिए करने की अपील की। भ्रमण के उपरांत आगामी दुर्गा पूजा व नवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने हेतु वाहनों की चेकिंग की गयी, ताकि कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गयी कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। भीड़भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक आयोजनों एवं बाजारों में सतर्कता बरतें। महिला एवं बालिकाएं किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या साइबर अपराध की स्थिति में बिना संकोच 112, 1090 या 1930 पर तत्काल सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।